विधानसभा चुनाव 2018
अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ.3(1)(9) I/ Elect/2018/6939 दिनांक 07-10-2018

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान जयपुर।

प्रेषितिः मुख्य सचिव
राजस्थान, जयपुर।

विषयः राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2018 – आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन रोकने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयोग द्वारा दिनांक 06.10.2018 को राजस्थान विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संबंध में सख्त निर्देश जारी किये गये है जिसकी प्रति सभी विभागो को पालना हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिल रही है कि विभिन्न विभागो द्वारा तबादलो पर रोक होने के वाबजूद अभी भी स्थानान्तरण किये जा रहे है, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। साथ ही चुनाव की घोषणा होने के पश्चात अधिकारियों व कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने से चुनाव प्रबन्धन में व्यवधान पैदा होता है।

अतः अनुरोध है कि सभी विभागो को निर्देशित करावें कि वे अपने विभाग के एवं राजकीय उपक्रमों/संस्थाओ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन चुनाव समाप्ति तक नही करें और जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण आदेश जारी हो चुका है और उसकी क्रियान्विती आदर्श आचार संहिता लागू होने तक नही हुयी है तो उनकी क्रियान्विती भी नही की जावें।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।